समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी कमाक /2018 I/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा.सं./2018/0797

विजय सिंह तनय हरदेव सिह ठाकुर निवासी–लुहरगुवां तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ म.प्र. । ..आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन ....अनावेदक

श्री .... द्वारा आज दि0 2/2/18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-2-18 नियत।

रीडर ऑफ कोर्ट 2-2-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन अधिनस्थ न्यायालय नायव तहसीलदार प्रथ्वीपुर जिला टीकमगढ के प्र0क 70/ 2017–18 /बी 121 में पारित 22.12.17 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय ,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :–

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण--

1.यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक का उक्त भूमि ग्र्रम लुहरगुवां की भूमि सर्वे कमाक 37,43,704,707,708,पर काफी लम्बे समय वर्ष 1975 से आज दिनांक तक उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उक्त भूमि पर फलदार वृक्ष ,पेड व नलकूप लगा हुआ है। पटवारी हल्का लुहरगुवा द्वारा आवेदक के विरूद्ध एक प्रतिवेदन अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार को प्रस्तुत किया गया जिस पर से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण क 05/अ–68/14–15 दर्ज किया गया जिस विवादित आलोच्य आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी निवाडी के समक्ष अपील क 145/14–15 प्रस्तुत की गई वह अपील मे भी गुण दोषो पर निराकरण न करते हुये आलोच्य आदेश दिनांक 28.10.16 से निरस्त कर दी ,गई जिससे दुखित होकर निगरानी राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर मे निगरानी क 185/एक/2017 प्रस्तुत की गई जिसगें श्रीमान महोदय द्वारा दिनांक 16.1.2017 को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/797 विजयसिंह **विरूद्ध** म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर के प्रकरण क्रमांक 70/2017-18/बी-121 में पारित आदेश दिनांक 22-12-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 02-02-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 28.12.18 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया	

जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 28.12.18
सदस्य